संख्याः 2803/VII-2/16–खादी/2006

प्रेषक,

आलोक कुमार
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तरांचल,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

देहरादून दिनांकः 10 जुलाई 2006

विषयः वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना में धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 1487/बजट(08)–4/खा0 रिवेट/ 2006–07 दिनांक 27 जून, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु उद्योग निदेशालय के आयोजनागत पक्ष के 03–खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना में रू0 2,00,00,000/– (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि इसका आहरण चार बराबर किश्तों में, पूर्व आहरित किश्त के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किश्त का आहरण किया जायेगा तथा व्यय उन्हीं मद में किया जाये जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, डी0जी0एस0 एण्ड डी0 अथवा टेन्डर, कोटेशन विषयक वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2007 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उत्तरांचल शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.03.2007 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4– धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त रिवेट की धनराशि उन्हीं संस्थाओं को दी जा रही है जिनका चयन/पंजीकरण शासन/खादी बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अन्तर्गत किया गया हो।

5– बोर्ड द्वारा रिबेट की धनराशि का लाभ प्राप्त किये जाने वाली संस्थाओं की सूची व इससे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार का विवरण भी शासन को यथासमय उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6– सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा खादी वस्त्रों की बिक्री हेतु अधिकाधिक प्रचार–प्रसार किया जायेगा व खादी वस्त्रों की प्रदर्शनी आयोजित कर इन वस्त्रों के उपयोग हेतु जनता को आकर्षित किया जायेगा। बोर्ड द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा खादी वस्त्रों की बिक्री अधिकाधिक किया जाय।

7– स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित मानकों/शर्तों के अधीन ही किया जायेगा। मानको के इतर कदापि न किया जाये।

8– शासनादेश की शर्तों का अनुपालन न करने का समस्त दायित्व विभागाध्यक्ष एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का ही माना जायेगा।

9– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 800–अन्य व्यय, 03 खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना–00– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 345/XXVII(2)/2006 दिनांक 24 जुलाई, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2803(1)/VII-2/16–खादी/2006, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तरांचल शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
7. अपर निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तरांचल, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2
10. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।